भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1965
दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं और लड़कियों पर तेजाब फेंकने की घटनाएं

1965. श्री नरेश गुजराल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं और लड़कियों पर तेजाब फेंकने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसी घटनाओं की कुल संख्या के साथ-साथ मारी गई/घायल हुई महिलाओं/लड़कियों , गिरफ्तार हुए दोषियों की संख्या तथा दोषी के खिलाफ की गई कार्रवाई का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीड़ितों के पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों के साथ-साथ चिकित्सीय उपचार हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाजार में खुले आम तेजाब की बिक्री पर रोक लगाने , शीघ्र मुकदमा चलाया जाना सुनिश्चित करने तथा दोषी व्यक्तियों को कठोर दंड देने के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2012, 2013 और 2014 के दौरान देश में बालिकाओं सहित महिलाओं पर तेजाब से हमले के क्रमश :कुल 85,128 और 137 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। वर्ष 2012-2015 के दौरान बालिकाओं सहित महिलाओं पर तेजाब से हमले के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित मामले, पीड़ित महिलाओं की संख्या, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या अनुलग्नक-I में संलग्न है।

.........2/-

(ग) : राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के कार्यान्वयन में गति लाने के उद्देश्य से, 200 करोड़ रू. के शुरुआती कॉर्पस के साथ एक केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) के गठन का निर्णय लिया गया है जो महिलाओं के प्रति अपराध/हिंसा से निपटने के प्रयोजनार्थ है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त, उपचार के व्यय को पूरा करने के लिए तेजाब हमला पीड़ितों को 5.00 लाख रू .तक की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रावधान निर्धारित किया गया है।

इसके विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं-:

http://www.mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/CVCFFuideliness_141015.pdf

(घ) : भारतके संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, दर्ज करने, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2006 की रिट याचिका (दाण्डिक) 129 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में "लोगों पर तेजाब से हमले को रोकने और ऐसे हमले में मरने से बच जाने वाले लोगों के उपचार एवं पुनर्वास हेतु किए जाने वाले उपाय" नामक शीर्षक से दिनांक 30 अगस्त 2013 ,को एक परामर्शी-पत्र जारी किया है। यह परामर्शी-पत्र गृह मंत्रालय निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-:

.........3/-

http://www.mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/AdvisoryAfterSupremeCourtOrderInLaxmCase_Short.pdf

उपरोक्त परामर्शी-पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विष अधिनियम, 1919 की धारा 2 के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने का सुझाव दिया गया था।

तेजाब की बिक्री को विनियमित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने मॉडल विष नियम, 2013 का प्रारूप तैयार किया है। इन मॉडल नियमों में, अन्य के साथ-साथ, तेजाबों के रुपों (तरल अथवा क्रिस्टलाइन और उसका मिश्रण) जिनका भंडारण एवं विक्रय किया जा सकता है, लाइसेंस जारी करना, किसी भी व्यक्ति, शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अस्पताल, उद्योग, सरकारी विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विभाग द्वारा उसकी खरीद को शामिल किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I के पृष्ठ 1 का 1
राज्य सभा अता० प्र० सं० 1965

वर्ष 2012 – 2015 के दौरान बालिकाओं सहित महिलाओं पर तेजाब से हमले की सूचना के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे-दर्ज मामले(सीआर), पीड़ित महिला (डब्ल्यूएमवी), आरोप-पत्रित मामले(सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति(पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति(पीसीएस), गैर-दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2012							2013							2014							2015							
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सी आर	डब्ल्यू एमवी	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	डब्ल्यू एमवी	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	डब्ल्यू एमवी	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसी वी	सीआर	डब्ल्यू एमवी	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसी एस	पीसी वी	वर्ष 2015 के आंकड़े निम्न माह तक के हैं
1	आन्ध्र प्रदेश	6	6	4	-	5	4	-	एनआर	एनआर	एनआर	-	एनआर	एनआर	-	5	5	4	2	7	9	6	14	-	-	-	12	-	-	दिसम्ब र
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बलर
3	असम	1	4	0	-	6	0	-	1	3	0	-	3	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	0	-	-	अगस्तब
4	बिहार	10	12	10	-	17	16	-	7	7	5	-	16	16	-	2	2	0	0	3	0	0	2	-	-	-	2	-	-	दिसम्बलर
5	छत्तीसगढ़	3	3	4	-	3	6	-	2	5	2	-	2	2	-	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	3	-	-	दिसम्बगर
6	गोवा	1	2	1	-	1	1	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बगर
7	गुजरात	4	5	4	-	6	6	-	10	13	10	-	15	15	-	5	5	4	0	4	4	0	8	-	-	-	16	-	-	दिसम्बगर
8	हरियाणा	6	8	5	-	15	15	-	3	5	1	-	2	1	-	5	6	5	1	9	9	1	5	-	-	-	2	-	-	दिसम्बार
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	-	0	0	-	1	1	1	-	1	1	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	-	-	दिसम्बार
10	जम्मू और कश्मीर	3	3	2	-	2	2	-	2	2	1	-	4	1	-	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बार
11	झारखंड	2	3	2	-	5	5	-	2	2	2	-	2	2	-	1	1	1	1	0	1	1	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बार
12	कर्नाटक	2	2	2	-	2	2	-	4	4	4	-	9	9	-	2	2	2	0	4	4	0	4	-	-	-	1	-	-	दिसम्बकर
13	केरल	2	2	0	-	2	0	-	3	3	1	-	2	1	-	1	1	1	0	1	1	0	4	-	-	-	3	-	-	दिसम्बकर
14	मध्य प्रदेश	6	7	6	-	9	9	-	6	8	6	-	10	10	-	7	7	6	0	7	7	0	5	-	-	-	6	-	-	दिसम्बकर
15	महाराष्ट्र	3	3	3	-	3	3	-	7	8	4	-	5	4	-	2	2	1	0	1	1	0	1	-	-	-	1	-	-	दिसम्ब्र
16	मणिपुर	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्ब्र
17	मेघालय	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	3	-	-	दिसम्ब्र
18	मिजोरम	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्ब र
19	नागालैंड	0	0	0	-	0	0	-	1	1	1	-	1	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बंर
20	ओडिशा	2	3	1	-	7	7	-	1	1	1	-	3	3	-	8	8	6	0	6	6	0	6	-	-	-	2	-	-	दिसम्बंर
21	पंजाब	4	4	1	-	10	3	-	10	10	4	-	14	13	-	5	5	4	0	4	4	0	3	-	-	-	2	-	-	दिसम्बंर
22	राजस्थान	5	5	5	-	6	6	-	6	10	4	-	17	17	-	3	3	2	0	2	2	0	1	-	-	-	0	-	-	दिसम्बार
23	सिक्किम	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	1	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बमर
24	तमिलनाडु	1	1	0	-	1	0	-	4	5	3	-	7	5	-	6	10	3	0	9	5	0	3	-	-	-	10	-	-	दिसम्बडर
25	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बनर
26	त्रिपुरा	1	1	1	-	1	1	-	0	0	0	-	0	0	-	2	2	1	1	1	1	1	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बरर
27	उत्तर प्रदेश	11	15	11	-	18	18	-	41	41	36	-	60	66	-	42	43	32	2	63	51	2	25	-	-	-	13	-	-	दिसम्बरर
28	उत्तराखंड	3	3	2	-	2	2	-	1	1	1	-	2	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बखर
29	पश्चिम बंगाल	एनआर	एनआर	एनआर	-	एनआर	एनआर	-	एनआर	एनआर	एनआर	-	एनआर	एनआर	-	27	28	17	0	17	17	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	-	-	
	(कुल) राज्य	76	92	64	-	121	106	-	112	130	87	-	175	169	-	125	132	90	7	138	122	11	87	-	-	-	77	-	-	
30	अं .और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बलर
31	चंडीगढ़	0	0	0	-	0	0	-	1	1	1	-	1	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्ब्रर
32	दा .और न .हवेली	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्ब्रर
33	दमण और दीव	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्ब्रर
34	दिल्ली संघ राज्य	8	8	7	-	10	10	-	15	16	6	-	13	10	-	12	14	8	1	16	13	1	16	-	-	-	11	-	-	दिसम्बरर
35	लक्षद्वीप	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बवर
36	पुदेचेरी	1	1	1	-	1	1	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	दिसम्बरर
	(कुल) संघ राज्य क्षेत्र	9	9	8	-	11	11	-	16	17	7	-	14	11	-	12	14	8	1	16	13	1	16	-	-	-	11	-	-	
	(कुल) अखिल भारत	85	101	72	-	132	117	-	128	147	94	-	189	180	-	137	146	98	8	154	135	12	103	-	-	-	88	-	-	

स्रोतः वर्ष 2014 में भारत में अपराध

स्रोत: वर्ष 2015 के लिए मासिक अपराध संबंधी आंकड़े और ये आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट वर्ष 2012-2013 के लिएआंकड़े अनंतिम हैं।

एनसीआरबी ने गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संशोधित प्रपत्र का प्रयोग करते हुए वर्ष 2014 से महिलाओं पर तेजाब से हमले (धारा 326क भा.दं.सं.) के अधीन दोषि मामलों और दोषसिद्ध व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित करना शुरु किया है।

एनआर: का तात्पर्य है आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

*****